उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

संख्या-797/60-1-15-1/13(71)/2006

लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुरूप राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों तथा महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अन्तर्गत जनपदों में संचालित संस्थाओं में सृजित पदों पर चयन हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3185/60-1-12-1/13(71)/06 दिनांक 07 सितम्बर 2012 के द्वारा चयन समिति का गठन किया गया था।

2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली भारत सरकार के पत्र संख्या-डी0ओ0सं0-14.03.2012.सीडब्ल्यू-II दिनांक 03 मार्च 2014 के द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 सितम्बर 2012 के द्वारा गठित चयन समिति को अवक्रमित करते हुए एततद्वारा निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाती है :-

1.	जिला अधिकारी	-	अध्यक्ष
2.	जिला परिवीक्षा अधिकारीजिला बाल संरक्षण अधिकारी	-	सदस्य सचिव
3.	जिला कार्यक्रम अधिकारी आई0सी0डी0एस0	-	सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	सदस्य
5.	अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति	-	सदस्य
6.	सदस्य जे0जे0बी0	-	सदस्य

(रेणुका कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या-797/60-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
4. समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी , उ0प्र0।
8. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारीजिला बाल संरक्षण अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त अध्यक्षसदस्य, बाल कल्याण समिति, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in